न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–366 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–88 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस

15.06.2026

याचिकाकर्ताओं 1. सिपीन राय एवं 2. सुधा देवी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 16.04.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश प्रसाद सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस से संबंधित अथमलगोला थाना कांड संख्या 88 / 2026, दिनांक 25.03.2026, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं इनके द्वारा कोई–भी अपराध नहीं किया गया है इनके विरूद्ध बीएनएस धारा–109 आकर्षित नहीं होता है और इन पर चोरी का आरोप गलत है। उभयपक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचिका–अंजू देवी हैं, जिनका कहना है कि, वह दिनांक–24.03.2026 को लगभग एक बजे दोपहर में अपने घर के पीछे बाथरूम के लिए गई थी, इसी बीच शकलू राय, लक्ष्मी कुमारी, विद्यानंद राय, सुधा देवी एवं सीपीन राय उनके साथ गाली–गलौज करने लगा, मना करने पर पैना–लाठी से मार–पीट करने लगा, जिससे उनका सिर फट गया। हल्ला–गुल्ला पर उनके पति आए तो उसे भी पैना से सिर पर मारा तथा लाठी से बायां हाथ में मारा, जिससे खून बहने लगा और चोट का निशान है। तभी, सभी गांव वाले जुटे तो वे सब भाग गए और सूचिका के गले से सोने का चैन दस ग्राम का और ढोलना चार ग्राम का ये लोग छीन लिए, जिसकी कुल कीमत एक लाख पच्चास हजार रूपए थी।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–3 में वादिनी का पुनः, ब्यान है, जिसमें इन्होंने घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार कंडिका–7 में साक्षी–बबीता देवी एवं कंडिका–8 में साक्षी–ज्योति देवी का ब्यान है, जिसमें इन लोगों ने आपस में मार–पीट किए जाने की घटना का समर्थन किया है लेकिन इन दोनों साक्षियों ने सिकड़ी एवं ढोलना छीनने की बातों का समर्थन नहीं किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–39 के अनुसार, आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी के साथ जख्मी का जख्म–प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण पाई गई है। जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है एवं चोरी की घटना आवेदक के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है और न ही किसी–भी साक्षी ने

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–366 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–88 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस

लगातार

15.06.2026

अपने साक्ष्य में कहा है कि, जान मारने की आशय से मार–पीट किया गया है, इनके विरूद्ध धारा–109 बीएनएस आकर्षित नहीं होता है एवं अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–1. सिपीन राय एवं 2. सुधा देवी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदकगण के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ताओ को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़